भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3125

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

3125. श्री सनातन पांडेय:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्मार्ट ग्रिड वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण, उप-केंद्र और पारेषण अवसंरचना आदि के अंतर्गत धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए और विशेष रूप से बलिया जिले के लिए आवंटित और वास्तव में उपयोग की गई धनराशि योजना-वार कितनी है;

(ग) बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उन उपभोक्ताओं, किसानों, संस्थानों और अन्य लाभार्थियों की संख्या कितनी है, जिन्हें इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या सरकार ने लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और ऊर्जा अवसंरचना को और सुदृढ़ करने के लिए कोई नई कार्य-योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की।

इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण यूटिलिटी को हानि न्यूनीकरण अवसंरचनात्मक कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 21,782 करोड़ रुपये की परियोजनाएं और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 18,956 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी गई है।

बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, आरडीएसएस के अंतर्गत हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 202.62 करोड़ रुपये की परियोजनाएं और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 176.56 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी गई है।

आरडीएसएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आवंटित निधियों का जिला-वार विवरण अनुबंध पर है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, निधियों डिस्कॉम स्तर पर जारी की जाती हैं और इसलिए परियोजना बंद होने के समय जिला-वार उपयोग प्रदान किया जाता है।

बलिया संसदीय क्षेत्र में आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्य और उनकी वास्तविक प्रगति इस प्रकार है:

घटक	यूनिट	संस्वीकृति	उपलब्धि
क. हानि न्यूनीकरण कार्य			
अनावृत्त कंडक्टरों को एबी केबल से बदलना	किमी	1,176.26	1,176.26
11 केवी लाइन (ओएच) की रिकंडक्टरिंग	सीकेएम	276.44	276.44
33 केवी लाइन (ओएच) की रिकंडक्टरिंग	सीकेएम	47.98	47.98
ख. स्मार्ट मीटरिंग कार्य			
फीडर मीटर	संख्या	179	179
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर (डीटी)	संख्या	16,056	5,863
स्मार्ट उपभोक्ता मीटर	संख्या	2,59,644	1,23,193
ग. घरों का विद्युतीकरण			
शेष गैर विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन	संख्या	517	266

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) स्कीम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली को नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) समृद्ध क्षेत्रों से विद्युत निकासी की सुविधा के लिए सुदृढ किया जा रहा है। जीईसी-II के अंतर्गत पारेषण प्रणाली वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है और इसमें 10,440 एमवीए परिवर्तन क्षमता के साथ 2,567 सीकेएम पारेषण लाइनों के विकास की परिकल्पना की गई है। जून 2026 तक, उत्तर प्रदेश में जीईसी-II के अंतर्गत सभी 28 परियोजनाएं अवार्ड कर दी गई हैं।

उपर्युक्त स्कीमों के माध्यम से, सभी उपभोक्ताओं, किसानों, संस्थानों और अन्य लाभार्थियों को विद्युत आपूर्ति की बेहतर विश्वसनीयता और गुणवत्ता से लाभ मिलेगा।

(घ) : आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यों की निगरानी और समीक्षा नोडल एजेंसियों, अर्थात् पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर एक संस्थागत तंत्र, अर्थात संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वितरण सुधार समिति, और केंद्रीय स्तर पर सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति, संस्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने और स्कीम के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए स्थापित की गई है।

इसके अलावा, प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन) के माध्यम से, एक आईटी आधारित बहुउद्देश्यीय और मल्टी-मॉडल इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, भारत सरकार की महत्वपूर्ण स्कीमों/कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ-साथ समय पर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों जैसे हितधारकों को परियोजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों और शिकायत समाधान के कार्यान्वयन और प्रगति पर इनपुट प्रदान करने के लिए प्रगति पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाता है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3125

अनुबंध

आरडीएसएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में संस्वीकृत की गई परियोजना लागत तथा केंद्रीय बजटीय सहायता का ज़िलेवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	ज़िला	वितरण अवसंरचना कार्य (एलआर) की संस्वीकृत लागत	वितरण अवसंरचना कार्य (एलआर) के लिए संस्वीकृत केंद्रीय अनुदान	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों (एसएम) की संस्वीकृत लागत	स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों (एसएम) लिए संस्वीकृत केंद्रीय अनुदान
1	आगरा	198.65	119.19	294.75	44.21
2	अलीगढ़	410.10	246.06	288.23	43.23
3	औरैया	145.83	87.50	138.70	20.80
4	बाँदा	196.66	118.00	201.36	30.20
5	चित्रकूट	129.48	77.69	112.29	16.84
6	एटा	231.84	139.10	154.83	23.22
7	इटावा	171.78	103.07	127.31	19.10
8	फर्रुखाबाद	169.61	101.77	142.43	21.36
9	फिरोजाबाद	295.55	177.33	223.33	33.50
10	हमीरपुर	107.93	64.76	135.08	20.26
11	हाथरस	163.16	97.90	178.19	26.73
12	जालौन	169.54	101.72	175.80	26.37
13	झांसी	200.58	120.35	210.37	31.55
14	कन्नौज	133.95	80.37	155.00	23.25
15	कानपुर देहात	117.28	70.37	177.87	26.68
16	कानपुर नगर	1444.81	866.89	503.78	75.57
17	काशगंज (काशीराम नगर)	217.20	130.32	136.95	20.54
18	ललितपुर	119.48	71.69	103.26	15.49
19	महोबा	96.80	58.08	97.83	14.68
20	मैनपुरी	173.02	103.81	190.64	28.60
21	मथुरा	326.08	195.65	243.50	36.53
22	अमेठी	130.39	78.23	215.20	32.28
23	अयोध्या	174.52	104.71	215.21	32.28
24	बदायूं	266.37	159.82	263.12	39.47
25	बहराईच	156.24	93.74	276.18	41.43
26	बाराबंकी	197.86	118.72	215.20	32.28
27	बरेली	429.70	257.82	392.09	58.81
28	श्रावस्ती	75.72	45.43	123.77	18.57
29	गोंडा	367.43	220.46	294.29	44.14
30	हरदोई	221.98	133.19	209.41	31.41
31	लखीमपुर खीरी	196.77	118.06	360.59	54.09
32	लखनऊ	938.00	562.80	669.63	100.44
33	रायबरेली	228.42	137.05	352.41	52.86
34	पीलीभीत	199.03	119.42	202.70	30.41
35	उन्नाव	167.64	100.58	235.85	35.38
36	अंबेडकरनगर	158.42	95.05	215.20	32.28

क्रम सं.	ज़िला	वितरण अवसंरचना कार्य (एलआर) की संस्वीकृत लागत	वितरण अवसंरचना कार्य (एलआर) के लिए संस्वीकृत केंद्रीय अनुदान	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों (एसएम) की संस्वीकृत लागत	स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों (एसएम) लिए संस्वीकृत केंद्रीय अनुदान
37	बलरामपुर	130.42	78.25	137.07	20.56
38	शाहजहांपुर	230.89	138.53	233.15	34.97
39	सीतापुर	221.41	132.85	183.08	27.46
40	सुल्तानपुर	158.85	95.31	215.20	32.28
41	बागपत	98.96	59.38	197.78	29.67
42	बिजनौर	341.00	204.60	509.03	76.36
43	बुलन्दशहर	362.56	217.54	465.98	69.90
44	जी.बी. नगर	1503.75	902.25	249.51	37.43
45	गाजियाबाद	236.45	141.87	645.62	96.84
46	हापुड	183.73	110.24	205.15	30.77
47	जेपी नगर (अमरोहा)	131.27	78.76	256.36	38.45
48	मेरठ	327.66	196.60	433.70	65.06
49	मुरादाबाद	278.19	166.91	401.79	60.27
50	मुजफ्फनगर	269.37	161.62	406.76	61.01
51	रामपुर	142.69	85.61	276.35	41.45
52	सहारनपुर	448.68	269.21	475.51	71.33
53	संभल	487.74	292.64	216.90	32.54
54	शामली	106.05	63.63	206.45	30.97
55	प्रयागराज	806.94	484.16	309.89	46.48
56	प्रतापगढ़	355.37	213.22	296.68	44.50
57	फ़तेहपुर	369.94	221.96	236.43	35.46
58	कौशांबी	237.05	142.23	133.51	20.03
59	मिर्जापुर	169.42	101.65	213.75	32.06
60	सोनभद्र	204.08	122.45	172.79	25.92
61	वाराणसी	1927.93	1156.76	139.36	20.90
62	चंदौली	90.77	54.46	158.62	23.79
63	गाजीपुर	209.74	125.84	277.28	41.59
64	जौनपुर	327.42	196.45	381.55	57.23
65	आजमगढ़	171.61	102.96	380.99	57.15
66	बलिया	294.80	176.88	199.15	29.87
67	मऊ	223.73	134.24	207.42	31.11
68	गोरखपुर	194.14	116.48	324.10	48.62
69	देवरिया	160.31	96.19	245.29	36.79
70	कुशीनगर	134.52	80.71	264.16	39.62
71	महाराजगंज	74.96	44.98	261.19	39.18
72	बस्ती	96.70	58.02	250.39	37.56
73	संतकबीरनगर	39.90	23.94	152.24	22.84
74	सिद्धार्थनगर	195.43	117.26	206.76	31.01
75	संत रविदास नगर	131.93	79.16	126.19	18.93
